सचिव का कार्यालय
16 OCT 2026
ऊर्जा अनुभाग, बिहार, पटना

Government of Bihar
Road Construction Department
Notification

File No.–Pra-06/D.Bi.Niyam-03-08/06(Ansh)- 7461(S) / Patna, Date- 13/10/2026

The Road Construction Department, vide Notification No. 447(S) read with Memo No. 448(S) dated 16.01.2020, had issued order regarding the removal of minimum ceiling limit on the tendered rate in respect of all types of tenders under the Percentage Rate Tender method.

The aforesaid notification is hereby repealed, and the minimum rate limit of 10% (ten percent), as prescribed vide Notification No. 2046(S) dated 06.03.2014 of the Road Construction Department under the Percentage Rate Tender system is restored. Tenders having more than 10% (ten percent) below BOQ rate shall be considered ineligible.

In the event of a quoted rate below Bill of Quantity (BOQ) rate , the following provision is made for taking of Additional Performance Guarantee:-

1. Additional performance Guarantee will be charged at the rate of 0.25% for every 1% rate quoted below bill of Quantity for rate quoted 0% to 05% below bill of Quantity.

2. Additional performance guarantee will be charged at the rate of 0.5% for every 1% below BOQ for the rate quoted below 05 to 10% of bill of quantity.

It shall be applicable with immediate effect.

By the order of Governor of Bihar

Sd/-

(Pankaj Kumar Pal)
Secretary,
Road Construction Department, Bihar, Patna

Memo:- Pra-06/D.Bi.Niyam-03-08/06(Ansh)- Date:-
Copy to:- Accountant General, Veerchand Patel Marg, Patna for information and necessary action.

Sd/-

(Pankaj Kumar Pal)
Secretary,
Road Construction Department, Bihar, Patna

Memo:- Pra-06/D.Bi.Niyam-03-08/06(Ansh)- Date:-
Copy to:- Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Patna-7 for Publication in extra ordinary Bihar Gazette.

Sd/-

(Pankaj Kumar Pal)
Secretary,
Road Construction Department, Bihar, Patna

Memo:- Pra-06/D.Bi.Niyam-03-08/06(Ansh)- 3462(5) Date:- 13/10/2026
Copy to:- All Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary/ All Departmental Heads/ All Divisional Commissioners/ All District Magistrates/ All Municipal Bodies, Bihar for information and necessary action.

(Pankaj Kumar Pal)
Secretary,
Road Construction Department, Bihar, Patna

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

ज्ञापांक–प्र०–6 / द0वि0 नियम–03–08 / 06(अंश) 2461(S) / पटना, दिनांक– 13/10/2026

पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या–447(S) सहपठित ज्ञापांक–448(S) दिनांक–16.01.2020 द्वारा प्रतिशत दर निविदा (percentage rate tender) पद्धति में सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा को समाप्त करने के संदर्भ में आदेश निर्गत है।

उक्त अधिसूचना को निरसित करते हुए पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–2046(S) दिनांक–06.03.2014 द्वारा निरूपित प्रतिशत दर निविदा में न्यूनतम दर सीमा 10% (दस प्रतिशत) को पुनः बहाल किया जाता है। परिमाण विपत्र से 10% (दस प्रतिशत) से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाली निविदायें अमान्य मानी जायेगी।

परिमाण विपत्र के दर से नीचे निविदित दर दिये जाने की स्थिति में अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) लेने का निम्नांकित प्रावधान किया जाता है :–

1. परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25% अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति एक प्रतिशत उद्धृत दर के लिए ली जाय।

2. परिमाण विपत्र की दर से 5 से 10 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5% अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति एक प्रतिशत उद्धृत दर के लिए ली जाय।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–6 / द0वि0 नियम–03–08 / 06 (अंश) /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–6 / द0वि0 नियम–03–08 / 06 (अंश) /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को आगामी बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 4562(s) प्र०–6 / द0वि0 नियम–03–08 / 06 (अंश) /पटना, दिनांक– 13/10/2026

प्रतिलिपि :– सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागध्यक्ष, सभी विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी निकाय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।